

आदेश

कार्यवाही विवरण

30/5/24 पत्रावली पत्र हुई। आज नामावली  
पत्र का अन्तरिम कार्य स्थगित रखा  
जा रहा है। अतः पत्रावली अन्तम कार्यवाही  
दिनांक 10/7/24 को पेश हो

10.7.24

पत्रावली पत्र हुई। कृषि शुभ, गरी-गैरकृषि कृषि वकील  
प्राचीने निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा दाय प्रार्थी  
के पक्ष में प्रयत्न हुआ मामला मानते हुए डिमांड  
05-07-22 को अन्तरिम आदेश निवेदाता आदेश  
जारी किया गया था, इसके बाद कृषि की अपावली  
की ओर से कोई जमानत/खंडन पेश नहीं किया  
गया है। अतः आदेश दिनांक 05-07-2022 को  
कन्फर्म किया जाये।

पत्रावली का आवेदन किया गया तथा  
कृषि पर अन्तर्गत किया गया। वकील प्राचीने का  
उपरोक्त कथन उचित प्रतीत होता है अतः न्यायालय  
के अन्तरिम आदेश दिनांक 05-07-22 के  
मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता  
है तथा खसरा नं० 355, 365, 461/350 कुल  
किमा 3 कुम रकबा 2-22 ई० आगे वाले जाम कृषि  
की ढाणी के राजस्व रिपोर्ट की यथास्थिति मूल वाद  
के निस्तारण तक कनामे रखे के लिए अपावली  
को पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनांक  
10.07.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली  
केवल शुभार होकर बाद तकनील दाखिल दफ्तर हो।

द्वारा  
10/07/24  
सहायक क्लर्क एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़